राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–नाडोल

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 102/2008
दायरा तिथि : 26.07.2008
निर्णय तिथि : 01.06.2017

वादीगण:–

1. जीवी बेवा पकाराम
2. कन्या पुत्री पकाराम
3. मंजू पुत्री पकाराम
4. दिनेश पुत्र पकाराम
5. ममला पुत्री पकाराम
   जरिये कुदरती माता जीवी बेवा
   पकाराम जाति मेगवंशी, निवासीगण नाडोल
   तहसील देसूरी जिला पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र दौलारामजी
2. पोमाराम पुत्र दौलारामजी
   जातिगण मेगवंशी, निवासीगण नाडोल
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी

: निर्णय : दिनांक : 01.06.2017

दावा बाबत 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, 2017 केम्प कोर्ट नाडोल मे पेश हुई। पक्षकारान् को जारी नोटिस बाद तामिल कार्यवाही के प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। उपस्थित प्रतिवादीगण को सुना गया व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि नाडोल II के खसरा नंबर 3602/1, 5183 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि मे वादीगण 1 लगाय 5 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या–2 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमे वादीगण ने 1/3 हिस्सा के अनुसार विभाजन की डिक्री चाही है, जो विधि सम्मत प्रतीत है।

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व वाद संख्या 102/2008 अनवान जीवी वगैरा बनाम मोंगीलाल वगैरा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मौजा नाडोल II के खसरा नंबर 3601/1, 5183 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगानी 5.46 रूपये के संबंध मे रेकर्ड मे दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 01 व 02 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर रिपोर्ट पेश करे। करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होंने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **01.06.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक: 01.06.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, . देसूरी
2. पटवारी हल्का, नाडोल

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–नाडोल

प्रपत्र 5

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नाडोल

ठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

ादीगण:–
1. जीवी बेवा पकाराम
2. कन्या पुत्री पकाराम
3. मंजू पुत्री पकाराम
4. दिनेश पुत्र पकाराम
5. ममता पुत्री पकाराम
   जरिये कुदरती माता जीवी बेवा
   पकाराम जाति मेगवंशी, निवासीगण नाडोल
   तहसील देसूरी जिला पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. मांगीलाल पुत्र दौलारामजी
2. पोमाराम पुत्र दौलारामजी
   जातिगण मेगवंशी, निवासीगण नाडोल
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत **53, 88 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **102/2008**
निर्णय दिनांक :– **01.06.2017**

वादी की ओर से वादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण की अनुनस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01.06.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

बाद अवलोकन पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मौजा नाडोल–II के खसरा नंबर 3601/1, 5183 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल लगानी 5.46 रूपये के संबंध मे रेकर्ड मे दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिंस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक ड्रिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगंण व प्रतिवादीगण 01 व 02 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर रिपोर्ट पेश करे। करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **01.06.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–नाडोल